(70)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 42/2017

प्रार्थी

सीतादेवी पत्नी रतनाराम पुत्री मलाराम, जाति पटेल निवासी बेरा बबोया मालकोसनी रोड़ बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मलाराम पुत्र बीजाराम जाति पटेल निवासी कुम्हारों का झालरा रोहिताश स्कूल के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
2. शान्तिदेवी पत्नी शेषाराम पुत्री मलाराम जाति पटेल निवासी बेरा बबोया मालकोसनी रोड बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
3. गीतादेवी पत्नी विक्रम जी पुत्री मलाराम जाति पटेल निवासी सावतपुरा का बास बडेर बिलाड़ा
4. लीलादेवी पत्नी महेन्द्रजी पुत्री मलाराम जाति पटेल निवासी बेरा तेली झगड़ा गांव पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली
5. दुर्गादेवी पत्नी दुर्गाराम जाति पटेल निवासी बेरा कायन गांव करमावास मालियान तहसील रायपुर जिला पाली राज.
6. कौशल्या पत्नी धर्माराम पुत्री मलाराम जाति पटेल निवासी रंगरेजों का अरट, रोहितास स्कूल के पास बिलाड़ा
7. सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा
8. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर
9. तेजाराम गोदपुत्र मलाराम जाति पटेल निवासी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री नारायणसिंह सोढ़ा अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 7 व 8 सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: दिनांक 22-8-2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 तक एक ही परिवार के सदस्य है एवं उनकी पैतृक कृषि भूमि वर्तमान में बिलाडा चक नम्बर-4 व पुराना बिलाडा चक-3 में स्थित है जो

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर, एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

लगातार---पेज-2

कृषि भूमि पूर्व पुरूष बीजाराम पुत्र मूलाराम से अप्रार्थी संख्या 01 को प्राप्त हुई। जिसके समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी एवं नामान्तरकरण संख्या 914 के जरिये उक्त भूमि बीजाराम से उनके तीनों पुत्रों कमशः भोलाराम, मलाराम व लाबू राम के उतराधिकारी कालुराम को प्राप्त हुई एवं जिनका बंटवाड़ा होकर अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि बटवाडे में अलग दे दी गई। जिस कारण बीजाराम के अन्य उतराधिकारी भोलाराम व लाबूराम का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया व अप्रार्थी का सजरा खानदान भी प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी मलाराम के कुल 6 पुत्रियां जीवित होना बताया गया। वर्तमान में बिलाडा चक नम्बर 4 के खाता संख्या 965 के खसरा नम्बर 2561/3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2561/6 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2584/3 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 2585/3 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा जो मूल खसरा नम्बर 2561, 2584 व 2585 के बंटवाडे से नये खसरा नम्बर बने है व खाता संख्या 917 में उल्लेखित खसरा नम्बर 2584 रकबा 2 बीघा में 1/3 हिस्सा पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया के पिता है एवं प्रार्थीया के कोई सगा भाई नहीं है। जिस कारण अन्य अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 जो प्रार्थीया के पिता है को बहला फुसलाकर एवं धोखे में रखकर एवं प्रार्थीया को अपने हक हिस्से से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम है परन्तु उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 01 की स्वअर्जित भूमि कतई नहीं है। उक्त भूमि भूमि अप्रार्थी सं. 01 को प्रार्थीया के दादा बींजाराम पुत्र मूलाराम से अप्रार्थी संख्या 01 को प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का हक हिस्सा पैतृक कृषि भूमि होने के नाते निहित हो चुका है एवं उसका कब्जा हिस्से अनुसार मौजूद है एवं उक्त सम्पूर्ण भूमि जो मलाराम के नाम से वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज है प्रार्थीया का 1/7 हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीया उक्त अपने हिस्से को नाम से घोषित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वाद कारण, न्यायालय क्षैत्राधिकारी, अपूर्णीय क्षति इत्यादि बताते हुए प्रार्थना पत्र के अन्त में जाहिर किया कि मूल वाद के निस्तारण तक इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्व जारी की जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण (बैचान, बख्शीश, रहन वगैरा) नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ऐसा बैचान, बख्शीश, रहन या अन्यथा किसी प्रकार से अन्तरण पेश होता है तो उसे तस्दीक नहीं करें। राजस्व रैकर्ड व मौके की स्थिति में फेरबदल न तो अप्रार्थीगण करें और न ह अन्य से करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. नोटिस के करवायी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनकर

लगातार --पेज-3

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी

पेज-3

विवादग्रस्त भूमि की दिनांक 7-12-2017 को जो राजस्व रिकार्ड की स्थिति थी उसे आगामी तारीख पेशी तक यथावत बनाये रखने की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। दौरान सुनवाई अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. का पेश किया जिसमें प्रार्थीया के दादा बीजाराम के विधिक वारिसान व अप्रार्थी संख्या 01 के गोद पुत्र तेजाराम को अप्रार्थी के रूप मे सयोजित करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में जिसे पक्षकार बनना है वो स्वय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही पक्षकारा बनाया जा सकता है। केवल अप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार पक्षकार बनाया जाना सम्भव नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के गोद पुत्र तेजाराम द्वारा स्वय उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. का स्वय उपस्थित होकर प्रस्तुत करने एवं उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील प्रार्थी से लिये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 01 के पंजीबद्व दस्तावेज द्वारा गोद लिये गये दत्तक पुत्र को अप्रार्थी संख्या 09 बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 6 तथा 9 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने सजरा खानदान बताया है गलत होने से अस्वीकार है। बीजाराम पुत्र मूलाराम का सही सजरा खानदान जवाब के पद संख्या 2 के अनुसार है। पद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि बिलाड़ा चक संख्या 4 की सरहद में स्थित है। जिसका एकमात्र स्वामी अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त कृषि भूमि में किसी तरह का हिस्सा पाने की अधिकारिणी नही है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है, जिसकी अप्रार्थीगण ने आज से करीब 45 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था में शादी कर दी थी व 18 साल की उम्र होने पर उसका मुकलावा कर ससुराल भेज दिया था। शादी का सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम ने करीब 1 लाख रूपये वहन किया था और जितना भी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार एक पुत्री को सामान देना था वह अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम ने प्रार्थीया को दिया। इसके अलावा प्रार्थीया को सोने के जेवरात डेढ तोला व चांदी के आभूषण पावभर दिये थे। शादी के व मुकलावे के बाद में सामाजिक रीति रिवाज अनुसार आणे-टाणे में खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 ने किया था व उसके बाद प्रार्थीया की तीनों पुत्रिया बिच्छूदेवी, सोनुदेवी व सीमा का विवाह हुआ था उस समय मायरे में अप्रार्थी संख्या 1 ने सोने के जेवरात साढे चार तोला, आधा किलो चांदी के जेवरात व कपड़े लते वगैरा व नकद रूपये 35,000/- प्रार्थीया को दिये। इस प्रकार प्रार्थीया के मायरे में अप्रार्थी संख्या 1 ने करीब 2,00,000/- रूपये खर्चा आया। प्रार्थीया के पुत्र दिनेश का आज से करीब 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था तो भींदभागे में 50,000/- रूपये का खर्चा प्रार्थीया के लिये अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम ने किया

लगातार ---पेज-4

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

था। इस प्रकार प्रार्थीया के लिये उपरोक्त सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थीया की सहमति से अप्रार्थी संख्या 1 ने जो खर्चा किया था वो प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 के स्वर्गवास के बाद तथाकथित मिलने वाली जमीन से ज्यादा कीमत का खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 ने कर दिया। इसलिए भी प्रार्थीया अपने पिता से किसी प्रकार की सम्पति पाने की अधिकारिणी नही है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पिता के जीतेजी व पुत्री की शादी 45 वर्ष पूर्व कर उसे मुकलावे के समय ससुराल भेज दी गई तब से प्रार्थीया ससुराल में ही निवास करने से पिता की सम्पति में प्रार्थीया को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा प्रार्थीया ने अपने पति व ससुराल से ससुराल में हिस्सा प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीया का वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही साबित नही है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में नही है, न ही अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया को हो रही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थीया पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम की जायन्दा पुत्री है इसलिए प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन हक व अधिकार है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम के नाम से वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार के रूप में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में दर्ज नही है। पिछले 45 वर्षो से प्रार्थीया अपने ससुराल ही रह रही है तथा प्रार्थीया का पिछले 45 वर्षो से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा भी प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर पिछले 45 वर्षो से कब्जा काश्त होना नही माना है। प्रार्थीया अपने पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में अलग हिस्सा की मांग कानूनन नही कर सकती है और प्रार्थीया की शादी, मायरा व अन्य कार्यो में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने सामाजिक कृत्यों का पूर्ण पालन किया है और प्रार्थीया

लगातार ... पेज-5

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पेज-5

(74)

अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम के नाम से वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार के रूप में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में दर्ज नही है। पिछले 45 वर्षो से प्रार्थीया अपने ससुराल ही रह रही है तथा प्रार्थीया का पिछले 45 वर्षो से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नही है। जिसे अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा भी प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर पिछले 45 वर्षो से कब्जा काश्त होना नही माना है। प्रार्थीया द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में अलग हिस्सा की मांग की है जो कानूनन नही कर सकती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार होने के कारण उसके विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर पिछले 45 वर्षो से कब्जा काश्त नही होने से बीना कब्जा के भी प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया और प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नही होने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीयक्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में नही बनती है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

आदेश आज दिनांक 22-8-2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा